



मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 383/2019

1. नवजोत सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख | निवासी वार्ड नम्बर 09 संगरिया  
2. मनजीत कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जटसिख | तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भूर सिंह पुत्र बली सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. शोभा सिंह पुत्र बली सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
3. दलबारा सिंह पुत्र बली सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
4. बलदेव सिंह पुत्र बली सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
5. बलीसिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. बलवन्त सिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
7. इन्द्रसिंह पुत्र काला सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
8. हजुर सिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
9. अंग्रेज सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
10. जसकौर पत्नी जगर सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
11. सरजीत कौर पुत्री जगर सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
12. हरनेक सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख नि. बुगलावाली तहसील संगरिया।
13. बनवारी लाल पुत्र चारणराम जाति ओढ़ नि. अलीपुरा तह.सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
14. मुलखराज पुत्र टीकनराम जाति ओढ़ निवासी अलीपुरा तह.सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
15. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 21.6.2019

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री ..... प्रतिवादी संख्या.....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 27 एएमपी के खाता संख्या 72/78 में कुल 3.783 हैं में मौके पर कब्जा काश्त की भूमि:-

- 1- मनजीतकौर पत्नी नाजमसिंह जाति जटसिख सा. संगरिया प.न. 97/169 मु.न 73 किला नं. 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. खाला 5/1/0.202, 5/2/0.051 गै. मु खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु खाला 7/0.253 हैं, 14/0.253 हैं, 15/1/0.228 हैं 15/2/0.025 गै.मु खाला प.न. 98/170 मु.न. 79 किला नं. 9/0.034 हैं पूर्वी पासा कुल 1.552 है नहरी मय गै.मु.

21/6/19

प्रशासन पार्श्व में सं. अभियान 2019  
शिफा प्रभारी (SPO)  
शिफा स्थल.....

- 2- नवजोतसिंह पुत्र नाजमसिंह जाति जटसिख सा. संगरिया प.न. 97/169 मु.न. 73 किला नं. 16/1/0.228 हैं 16/2/0.025 गै.मु खाला 25/1/0.228 हैं, 25/2/ 0.025 गै.मु खाला प.न. 97/170 मु.न. 80 किला नं. 5/0.253 हैं 6/0.253 हैं कुल 1.012 हैं नहरी मय गै.मु
- 3- बनवारीलाल पुत्र चानणराम जाति ओड सा. अलीपुरा प.न. 98/169 मु.न. 74 किला नं. 11/0.253 हैं 20/0.253 हैं 21/0.253 हैं कुल 0.759 हैं नहरी
- 4- करनैलसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली प.न. 98/170 मु.न. 79 किला नं. 1/0.253 हैं 9/0.030 हैं उत्तरी पासा कुल 0.283 हैं नहरी
- 5- कुलविन्द्रकौर पत्नी नवजोतसिंह जाति जटसिख सा. वार्ड नं. 9 संगरिया प.न. 98/170 मु.न. 79 किला नं. 9/0.025 हैं दक्षिणी पासा 10/0.152 हैं कुल 0.177 हैं

अतः तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने एवं अन्य सहखातेदारों का मौके पर कब्जा काश्त नही होने के कारण उनका नाम नियमानुसार कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-प्रा.डिक्री/भू.अ./06 दिनांक 16.06.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.6.2023..... को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



7/9/6/23  
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (DO)  
संगरिया लीलावती